

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी—

सुखराम खोखर
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

019/2016/प्रा.पत्र/2016

11.02.2016

27.02.2020

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

- 1-श्री चन्द्र प्रकाश जैन पुत्र मीठालाल चन्द जैन जाति महाजन एफ.बी.ओ. मैसर्स आयुष एजेन्सीज सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक निवासी रामनगर जयपुर रोड मालपुरा जिला टोंक राज0
- 2- मैसर्स आयुष एजेन्सीज सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक
- 3-श्री आलोक खण्डलेवाल पुत्र महेन्द्र स्वरूप खण्डलेवाल प्रोपरायटर मैसर्स गोकुल एग्रो फूड प्रोडक्ट्स बी-51 अग्रसेन टॉवर सेन्टर स्पाईन विधाधर नगर जयपुर राज0 निवासी खसरा नम्बर 52 भवानी नगर सीकर रोड जयपुर राज0
- 4- मैसर्स गोकुल एग्रो फूड प्रोडक्ट्स बी-51 अग्रसेन टॉवर सेन्टर स्पाईन विधाधर नगर जयपुर राज0

..... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—

- 1-प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
- 2-अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 स्वयं तथा 3,4 की ओर से उपस्थित

:-निर्णय:-

दिनांक 27.02.2020

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 24.10.2015 को समय 3.42 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स आयुष एजेन्सीज सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। विक्रेता की हैसियत से श्री चन्द्र प्रकाश जैन पुत्र मीठालाल चन्द जैन जाति महाजन एफ.बी.ओ. मैसर्स आयुष एजेन्सीज सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक निवासी रामनगर जयपुर रोड मालपुरा जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे रिफाइंड पाम ऑयल बिलोवनी प्रीमियम मूल पैक (Refined Palm Oil Bilowani Premium Original Pack)रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने


अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

1031

पर. एफ.बी.ओ. श्री चन्द्र प्रकाश जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता चन्द्र प्रकाश जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।


आवेदक द्वारा दुकान मे कागज के गत्ते के कार्टूनो मे 905 ग्राम के 17 डिब्बे मूल पैक रिफाईंड पाम ऑयल बिलोवनी प्रीमियम मूल पैक (Refined Palm Oil Bilowani Premium Original Pack) रखे हुये मे से 4 मूल पैक (कुल वनज 3620 ग्राम) अवस्था ज्यो का त्यो साफ प्रिन्टेड वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये मे से वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री चन्द्र प्रकाश जैन को रू0 280/- अक्षरे दो सौ अस्सी रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा रिफाईंड पाम ऑयल बिलोवनी प्रीमियम मूल पैक (Refined Palm Oil Bilowani Premium Original Pack) 4 मूल पैक को ज्यो का त्यो अलग-अलग चार भागो मे विभाजित कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I-1166 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग-अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I-1166 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. चन्द्र प्रकाश जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाद्य पदार्थ का नमूना कय करते समय श्री चन्द्र प्रकाश जैन ने मौके पर रिफाईंड पाम ऑयल बिलोवनी प्रीमियम मूल पैक (Refined Palm Oil Bilowani Premium Original Pack) बतोर वारन्टी मैसर्स गोकुल एग्रो फूड प्रोडक्ट्स बी-51 अग्रसेन टॉवर सेन्टर स्पाईन विधाधर नगर जयपुर राज0 का खरीद बिल क्रमांक 2102 दिनांक 16.10.2015 की छायाप्रति प्रति पेश की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./15/4281 दिनांक 17.11.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/803/एक्ट/2015/785 दिनांक 04.11.2015 अनुसार चन्द्र प्रकाश जैन से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया रिफाईंड पाम ऑयल बिलोवनी प्रीमियम मूल पैक (Refined Palm Oil Bilowani


अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक


1032

Premium Original Pack) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार मिथ्याछाप (Mis-branded) का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का रिफाइंड पाम ऑयल बिलोवनी प्रीमियम मूल पैक (Refined Palm Oil Bilowani Premium Original Pack) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस रिफाइंड पाम ऑयल बिलोवनी प्रीमियम मूल पैक (Refined Palm Oil Bilowani Premium Original Pack) का विक्रय कर रहा था वह जांच में मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया रिफाइंड पाम ऑयल बिलोवनी प्रीमियम मूल पैक (Refined Palm Oil Bilowani Premium Original Pack) का नमूना जांच में मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 अप्रार्थी श्री चन्द्र प्रकाश जैन पुत्र मीठालाल चन्द जैन जाति महाजन एफ.बी.ओ. मैसर्स आयुष एजेन्सीज सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक निवासी रामनगर जयपुर रोड मालपुरा जिला टोंक राज0 पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0) अप्रार्थी श्री आलोक खण्डलेवाल पुत्र महेन्द्र स्वरूप खण्डेलवाल प्रोपरायटर मैसर्स गोकुल एग्रो फूड प्रोडक्ट्स बी-51 अग्रसेन टॉवर सेन्टर स्पाईन विधाधर नगर जयपुर राज0 निवासी खसरा नम्बर 52 भवानी नगर सीकर रोड जयपुर राज0 पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 27.02.2020 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 27.02.2020 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।


(सुखराम खोखर)
न्याय अतिरिक्त जिला जज
अतिरिक्त जिला जज
टोंक-राज0

